

उत्तर प्रदेश शासन
पशुधन अनुभाग-1
संख्या-18/2018/202/37-1-2018-2(14)/2017
लखनऊ:दिनांक 31 जनवरी, 2018
(संशोधन)

कार्यालय आदेश संख्या-12/2018/132/37-1-2018-2(14)/2017, दिनांक 19 जनवरी, 2018 द्वारा स्तम्भ-7 में अंकित तिथि से द्वितीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैंड-3 रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 7600/- एवं स्तम्भ-8 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैंड-3 रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 8700/-स्वीकृत किये जाने के आदेश निर्गत किये गये हैं।

2- उक्त आदेश में लिपिकीय त्रुटिवश स्तम्भ-8 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैंड-4 रु0 37400-67000 ग्रेड वेतन रु0 8700/-के स्थान पर स्तम्भ-8 में अंकित तिथि तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैंड-3 रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 8700/- अंकित हो गया है। अतः उपरोक्त संदर्भित कार्यालय-आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2018 में अंकित "स्तम्भ-8 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैंड-3 रु0 15600-39100 ग्रेड वेतन रु0 8700/-" के स्थान पर "स्तम्भ-8 में अंकित तिथि से तृतीय वित्तीय स्तरोन्नयन के रूप में वेतन बैंड-4 रु0 37400-67000 ग्रेड वेतन रु0 8700/-" पढ़ा जाए।

3- उक्त कार्यालय-आदेश दिनांक 19 जनवरी, 2018 इस सीमा तक संशोधित समझा जाए।

सत्येन्द्र कुमार सिंह,
विशेष सचिव।

संख्या-18/2018/202(1)/37-1-2018, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- निदेशक, प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 2- संयुक्त निदेशक (प्रशासन), पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 3- वित्त नियंत्रक, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 4- संबंधित मण्डलीय अपर निदेशक ग्रेड-2 द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 5- संबंधित मुख्य पशु चिकित्साधिकारी द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 6- सम्बन्धित अधिकारी द्वारा निदेशक प्रशासन एवं विकास, पशुपालन विभाग, 30प्र0, लखनऊ।
- 7- गाई फाइल।

आज्ञा से,

सत्येन्द्र कुमार सिंह
विशेष सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.nic.in> से सत्यापित की जा सकती है।